FACTUAL AND ACTION TAKEN REPORT

OF JOINT COMMITTEE

IN OA 47/2021 (CZ)

Dr.Dharnendra Jain

VS

State of Madhya Pradesh & Ors.

COMMITTEE MEMBERS

1. Municipal Commissioner, Sagar (M.P.)

2. Regional Officer, Sagar (MP) Representative of State Pollution Control Board, (M.P.)

स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

मान. एन.जी.टी. प्रकरण क्रमांक–47/2021 डॉ. धरनेन्द्र जैन विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में याचिकर्ता द्वारा मुख्यतः दो बिन्दुओं 1. झील के अन्दर बिछाये जा रहे वेस्ट वाटर कलेक्शन एवं स्टॉर्म वाटर कलेक्शन हेतु सीवरेज पाईप बिछाना एवं 2. अंडर ग्राउण्ड सीवरेज पाइप लाइन एवं सैप्टिक टैंक बनाने के संबंध में लिखा है।

तत् संबंध में मान. न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार दिनांक 03/08/2021 को ज्वांइट कमेटी में आयुक्त, नगर पालिक निगम, सागर तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधियों के रूप में क्षेत्रीय अधिकारी एवं मुख्य रासायनज्ञ, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर के संयुक्त दल द्वारा शहरी क्षेत्र में स्थित सागर झील के चारो ओर से मिल रहे दूषित जल के कारण होने वाले प्रदूषण के परिपेक्ष्य में निरीक्षण किया गया। लाखा बंजारा झील को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिये वर्तमान में दो कार्य करवाये जा रहे है–

A. लाखा बंजारा झील का पुर्नविकास एवं जीर्णोद्धार व सौन्दर्यीकरण का कार्य
B. सीवरेज को बाहर करने का कार्य

कार्यवार निरीक्षण प्रतिवेदन एंव वस्तु स्थिति निम्नानुसार हैं :–

A. लाखा बंजारा झील का पुर्नविकास एवं जीर्णोद्धार व सौन्दर्यीकरण का कार्य

(01). वर्तमान स्थिति में झील के चारो तरफ से मिलने वाले नाले/नालियों से आने वाले गंदे पानी के कारण झील का पानी अत्यंत प्रदूषित हो गया है।

(02). झील के किनारो पर स्थित आबादी द्वारा निस्तारित पानी नाले/नालियों में मिलता है, जिन नाले/नालियों के पानी का बहाव झील की तरफ हैं। उन सभी नाले/नालियों के पानी के कारण लगातार झील प्रदूषित हो रही है।

(03). झील में ऐसे नाले/नालियों की संख्या 36 है, जिनसे गंदा पानी झील में समाहित हो रहा हैं।

(04). झील के पानी को प्रदूषण से मुक्त करने हेतु एक वृहद योजना की आवश्यकता थी। भारत सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन योजना में सागर का चयन होने पर झील के पानी को प्रदूषण मुक्त करने एवं संपूर्ण झील के पुर्नविकास, जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण का कार्य सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा लिया गया।

(05). इस योजना में झील के पानी को प्रदूषण से मुक्त करने हेतु अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा योजना तैयार की गई जिसे आम सहमति हेतु शहर स्तरीय परामर्शी समिति जिसमें की शहर के सांसद, विधायक, महापौर एवं अन्य जनप्रतिनिधि होते है, के समक्ष योजना रखी गई थी, जिसमें की उनके द्वारा झील के पानी को प्रदूषण से मुक्त करने हेतु योजना में झील के किनारे पाईप विछाकर नाले/नालियो के पानी को ट्रेप कर झील के बाहर ले जाये जाने एवं गंदे पानी के उपचार संयंत्र स्थापित कर पानी के उपचार उपरांत उसे झील के बाहर करने अथवा झील में मिलाने सहमति दी गई।

(06). इसी प्रकार योजना के कार्यो को पब्लिक कंसल्टेंसी के माध्यम से आमजन के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसमें भी झील में मिलने वाले नाले/नालियों के पानी को पाईप के माध्यम से झील के बाहर ले जाये जाने को सहमति दी गई थी।

Scanned with CamScanner

(07). उपरोक्तानुसार सहमति प्राप्त होने पर सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत अनुबंधित एजेंसी मेसर्स अश्वथ इंफ्राटेक प्रा. लि. (जेवी), दिल्ली से कार्य कराया जा रहा है।

(08). झील में मिलने वाले नाले नालियों के पानी को ट्रेप करने हेतु अनुबंधित एजेंसी को कुल 5.36 कि.मी. पाईप बिछाना है। वर्तमान में एजेंसी द्वारा 3.5 कि.मी. पाईप बिछाया जा चुका है। यह पूरी लाइन बिछ जाने पर इससे आने वाले पानी को शुद्ध करने हेतु वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट में उपचारित किया जाना प्रस्तावित है। इस संयंत्र का निर्माण भी शीघ्र ही प्रारंभ किया जा रहा हैं।

(09). अनुबंधित एजेंसी द्वारा कार्य निर्धारित मापदण्डो अनुसार तकनीकी दक्षता के साथ किया जा रहा है। निरीक्षण में पाया गया कि सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा उक्त कार्य की निरंतर निगरानी की जा रही है। नाला ट्रेपिंग में NP-3 पाईप का उपयोग किया जा रहा है, जो कि तकनीकी रूप से काफी मजबूत हैं। इन पाईप के ऊपर मिट्टी डालकर बंड बनाये जा रहे है। इससे पाइप कवर रहेंगे व अतिरिक्त मजबूती मिलेगी। पाईप की सफाई हेतु निश्चित अंतराल पर चैंबर भी बनाये जा रहे हैं। इस प्रकार निरीक्षण में पाया गया कि स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज को ट्रेप करके बाहर निकालने से लाखा बंजारा झील में गंदा पानी मिलने से रूकेगा। कार्य तकनीकी रूप से सही एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये किया जा रहा है। उक्त कार्य से माननीय एन.जी.टी. के प्रकरण क्रमांक–47/2015, श्री दीपक तिवारी विरूद्ध नगर पालिक निगम, सागर एवं छः अन्य में पारित आदेश दिनांक 24 अगस्त, 2016 का भी पालन हो रहा है।

B. सीवरेज को बाहर करने का कार्य

याचिका में आवेदक द्वारा उल्लेख किया गया हैं कि नगर पालिक निगम, सागर द्वारा वेस्ट वाटर कलेक्शन तथा स्टॉर्म वाटर कलेक्शन हेतु अंडर ग्राउंड सीवरेज पाईप लाइन एवं सेप्टिक टैंक बनाये जा रहे है, जो कि मान. न्यायलय द्वारा मूल याचिका 47/2015, शीर्षक दीपक तिवारी विरूद्ध नगर पालिक निगम एवं अन्य में पारित आदेश के विरूद्ध है। वर्तमान प्रकरण क्रमांक 47/2021 में प्राप्त निर्देशानुसार संयुक्त दल द्वारा बिछाये गये सीवर नेटवर्क का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण उपरांत पाया गया कि–

1. वर्तमान स्थिति में झील का पानी अत्यंत प्रदूषित, गंध एवं हानिकारक पदार्थो से युक्त है। झील के किनारे निवासरत् परिवारों के मकानों से निकलने वाला जलमल सीधा झील में छोड़ा जा रहा है। इसी प्रकार कुछ आवादी द्वारा जलमल नालो में छोड़ा जा रहा है, जो अप्रत्यक्ष रूप से झील में आकर मिलता हैं।
2. सागर झील में चकरा घाट से मोंगा बंधान तक के किनारे की आवादी के लगभग 550 मकानों को सीवरेज वर्तमान में सीधा झील में आकर समाहित होता है।
3. केन्द्र सरकार की अमृत योजनांतर्गत सागर में सीवरेज योजना का कार्य प्रगतिरत हैं। यह कार्य अनुबंधित एजेंसी मेसर्स लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रा. लि. कोल्हापुर (जेवी) द्वारा किया जा रहा है। जिसके माध्यम से चकरा घाट से लेकर मोंगा बांधान तक लगभग 900 मीटर नेटवर्क में 550 रहवासी मकानो के लिये सीवरेज नेटवर्क डाला गया हैं। यह सीवर लाइन झील तल के नीचे 2 से 3 मीटर गहराई पर बिछाई गई है।
4. सीवरेज का प्रवाह मुख्यतः ग्रेविटी प्रवाह होता हैं। अतः जमीन के ढ़लान अनुसार सीवरेज का प्रवाह सुनिश्चित किया जाता हैं। परंतु तालाब किनारे बसे सभी घरो का वास्तविक ढ़लान झील की तरफ है। इसलिये इन सभी घरो का जलमल का बहाव प्राकृतिक रूप से झील की तरफ है।

Scanned with CamScanner

इन घरो का बहाव दूसरी तरफ ले जाना संभव नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र मे सारी गलियों काफी सकरी और बने हुये घरो की स्थिति भी अच्छी नहीं है। जिस कारण इन रास्तों से तीन से पांच मीटर की गहराई पर पाईप नेटवर्क बिछाना संभव नहीं है।

5. आवादी के मध्य जो रास्ते हैं इनसे सीवरेज को ट्रेक करना संभव नहीं है, क्योंकि यह रास्ते कम चौडाई के हैं एवं ग्रेविटी से इन रास्ते से सीवर लाइन बिछाने पर 03 से 05 मीटर गहराई तक खोदना पड़ सकता है, जिस कारण भवन क्षतिग्रस्त हो सकते है एवं जन हानि होने की संभावना भी हो सकती है।
6. उपरोक्त कारणो से चकरा घाट से मोंगा बंधान तक की लाईन झील के किनारे पूर्ण तकनीकी मापदण्ड अनुसार डाली गई है।
7. उक्त सीवर पाईप लाइन झील के किनारे डालना अत्यंत आवश्यक था, ताकि किनारे बसे भवनों से सीवरेज को सीधे झील में मिलने से रोका जा सके एवं मान. न्यायालय द्वारा दिये गये प्रकरण क्रमांक–47/2015 अनुसार पालन किया जा सके।
8. सागर सीवरेज परियोजना में डी. डब्ल्यू.सी. के एच.डी.पी. पाईपों का उपयोग किया गया है। सामान्यतया इस प्रकार के पाईप अत्याधिक मजबूत होते है। पानी की लीकेज को रोकने के लिये विशेष प्रकार की रिंग का उपयोग किया गया है एवं पाईप को कॉन्क्रीट से एनकेसिंग किया गया है, जो पाईप को लीकप्रूफ बनाता है। निर्माण कार्य निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार एवं पूर्ण तकनीकी कुशलता से किया गया है। निरीक्षण एवं सफाई हेतु बनाये गये मेनहोल के ऊपरी सतह को तालाब के एच.एफ.एल. से 1.2 मीटर ऊंचा रखा गया है।
9. क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति एवं सकरे रास्तों के कारण ही योजना की ड्रॉईग में इस क्षेत्र की सीवर लाइन झील के किनारे बिछाया जाना स्वीकृत है। तदनुसार ही झील के किनारे सीवर लाइन बिछाई गई है। अन्यथा सीवेज निकासी नहीं की जा सकती। इस सीवेज को मोंगा बंधान के आगे पर्पिंग स्टेशन से जोडा जाना है। यहाँ से सीवेज को ग्राम पथरिया हाट में निर्माणाधीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोडा जाकर उपचारित किया जावेगा। उक्त सभी कार्य प्रगतिरत है।
10. निरीक्षण में यह पाया गया कि वर्तमान में लगभग 550 घरों का सीवरेज सीधे ही अभी झील में मिल रहा है। नगर पालिक निगम द्वारा संबंधित एजेंसी के माध्यम से यदि यह कार्य नहीं करवाया जाता तो झील कभी भी शुद्ध नहीं हो सकती है। निर्मित मकानों के दूसरी तरफ भी तकनीकी रूप से सीवरेज लाइन नहीं डाली जा सकती है।

    अतः सीवरेज लाइन डालने का कार्य अति आवश्यक होने से किया जा रहा है। मौके पर कार्य तकनीकी रूप से दक्ष एजेंसी द्वारा पूरे मापदण्डों व भविष्य को दृष्टिगत रखते हुये सुरक्षात्मक उपाय अपनाते हुये किया जा रहा है।

    अतः याचिकाकर्ता की यह आशंका कि सीवरेज लाइन सीपेज होकर झील के जल को दूषित करेगी, निर्मूल है।

अतः याचिकाकर्ता का यह कहना कि नगर पालिक निगम द्वारा मूल याचिका क्रमांक–47/2015 में दिये गये निर्देशो का उल्लंघन कराया जा रहा है, गलत हैं। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज को ट्रेप कर बाहर करना एवं सीवरेज को ट्रेप कर बाहर करना दोनों कार्य तकनीकी रूप से दक्ष एजेंसी द्वारा किये जा रहे हैं। उक्त दोनो कार्य होने से झील में मिलने वाली गंदगी पूर्णतः रुक जायेगी। झील का पानी शुद्ध व उपयोगी हो जायेगा।

उक्त दोनो कार्य होने से माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का प्रकारण क्रमांक–47/2015 दीपक तिवारी विरुद्ध नगर पालिक निगम सागर एवं अन्य में पारित आदेश क्रमांक–07, 24 अगस्त, 2016 *"We would expect that nallah which are flowing into the lake should be taken on priority in view of the analysis report submitted before us. Trapping of these nallah and pumping of the sewage to locations other than the lake should be reconsidered by the Municipality so that drainage from the sewage does not enter into the Sagar Lake. We have also been informed that the identification and demarcation of the lake boundary has been done and pillars/ manners has been affixed. In this behalf, we would direct that the Municipality as also the District Collector, Sagar to ensure that no building permission or any construction activity is allowed to take place within the boundary of*

Scanned with CamScanner

the lake. This is irrespective of the ownership of the land. At the same time the Government as well as the Municipality shall not grant any building permission either within the lake boundary even if the same goes dry and also within the restricted zone of the 'No Construction Zone' in accordance with the T&CP guidelines of at least 30 meters from the boundary of the lake. The revenue record shall be maintained with regard to the Khasra numbers as also the sketch plan indicating the lake boundary and the "No Construction Zone'. This must be done at all times while considering any further application for grant of building permission. These conditions shall apply to both for permanent as well as the temporary structure. Wherever such permissions are granted considering the same beyond the lake boundary and 33 meters of 'No Construction Zone' they shall be further subjected to be the pollution norms and shall require clearance from the MPPCB so that no sewage etc. is allowed to enter into the Sagar Lake." का भी पालन होगा।

यहाँ यह भी स्पष्ट किया जा रहा हैं कि माननीय न्यायालय के पालन में दोनों एजेंसी द्वारा उक्त निर्माण के दौरान कोई भवन आदि नहीं बनाये जा रहे हैं। पाईप लाइन बिछाने का कार्य झील के किनारे-किनारे झील को शुद्ध करने के उद्देश्य से ही किया जा रहा हैं।

अतः याचिकाकर्ता का यह कहना कि नगर पालिक निगम द्वारा मूल याचिका क्रमांक-47/2015 में दिये गये निर्देशो का उल्लंघन कराया जा रहा है, गलत हैं।

संलग्न :-

1. स्टॉर्म वाटर ट्रेप प्लान
2. सीवरेज ट्रेप प्लान
3. स्थल निरीक्षण छायाचित्र

क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सागर, (म.प्र.)

आयुक्त
नगर पालिक निगम
सागर (म.प्र.)

मुख्य रासायनज्ञ
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सागर, (म.प्र.)

कार्यपालन यंत्री
नगर पालिक निगम एवं
स्मार्ट सिटी मिशन, (सागर)

सहायक यंत्री
नगर पालिक निगम, (सागर)

सहायक यंत्री
स्मार्ट सिटी मिशन, (सागर)

Scanned with CamScanner

(5)

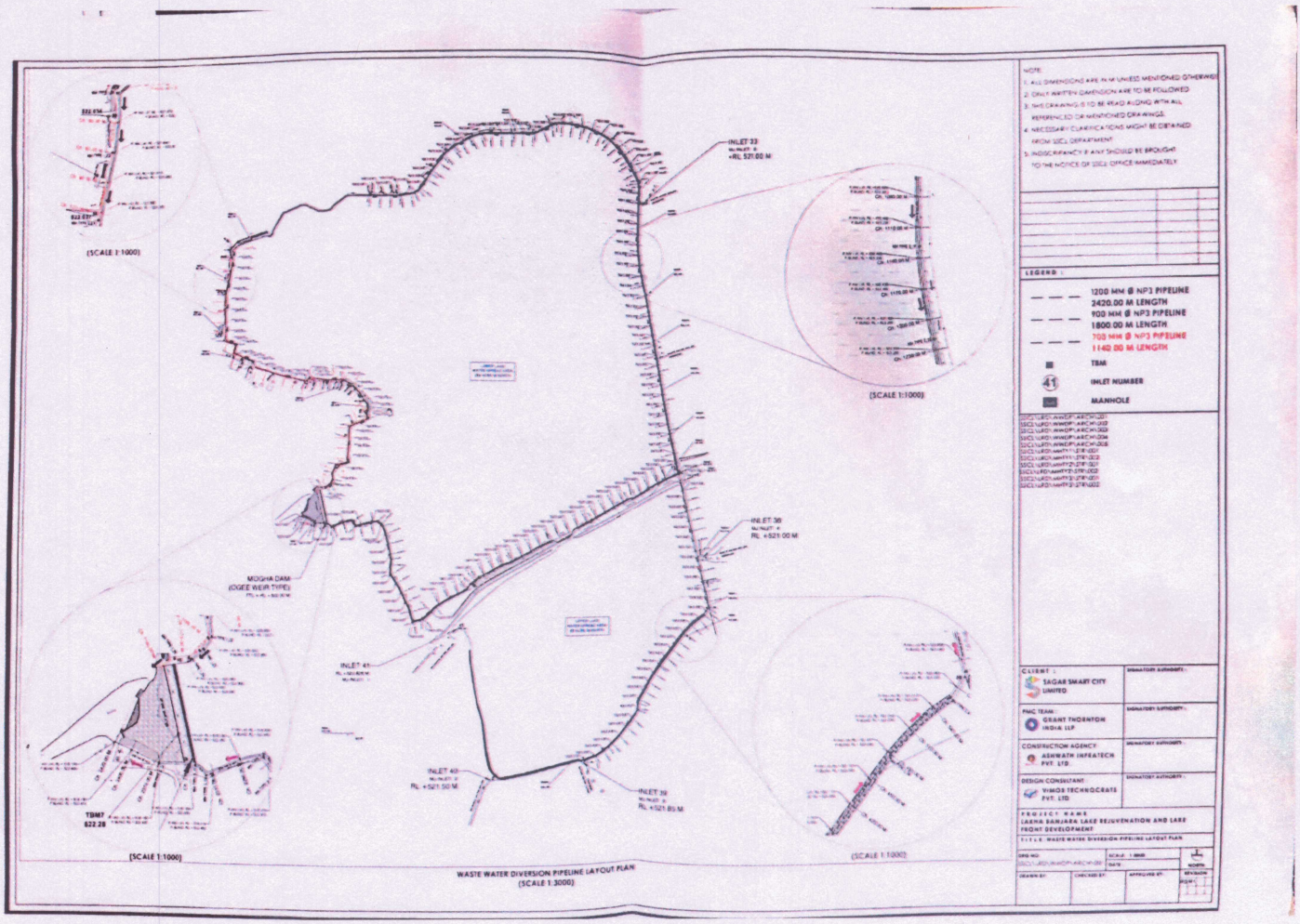

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

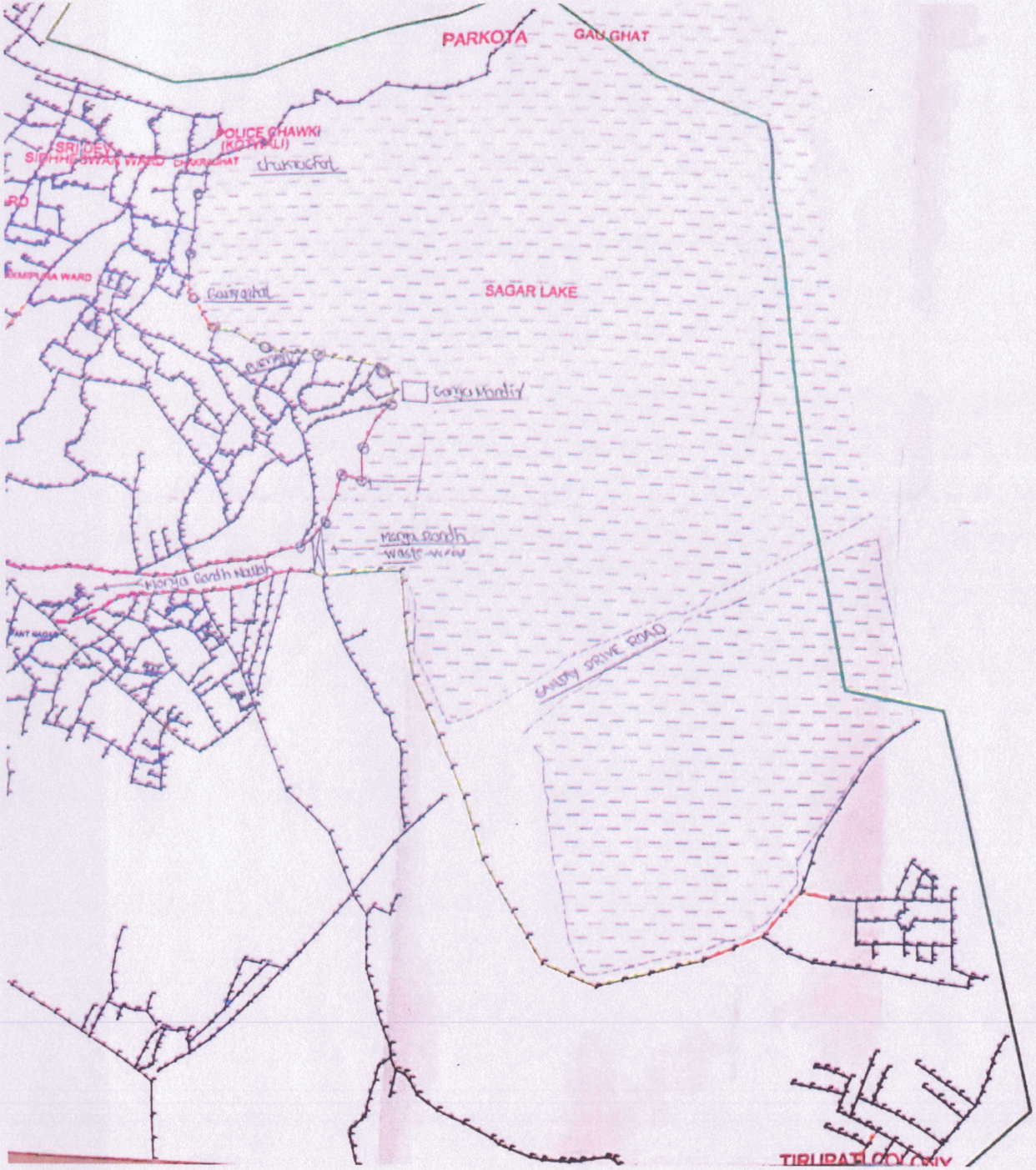

AGENCY:

MUNICIPAL CORPORATION, SAGAR (M.P.)

LOCATION :

SAGAR (M.P.)

PIPE SCHEDULE:

DIA OF PIPE	COLOUR
200 mm	
250 mm	
300 mm	
350 mm	
400 mm	
500 mm	
600 mm	
700 mm	
800 mm	
900 mm	
1000 mm	
1200 mm	

ZONE BOUNDARY

ZONE 2

septic tank Zone 2

Scanned with CamScanner